



समन्वय

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत¹
अभिसरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र,
केन्द्र प्रायोजित तथा
राज्य योजनाओं का संकलन

दादर नागर हवेली

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

एवं
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
हैदराबाद





सम्बन्ध

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत
अभिसरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र,
केन्द्र प्रायोजित तथा
राज्य योजनाओं का संकलन

दादर नागर हवेली

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
एवं
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
हैदराबाद


बीरेन्द्र सिंह
Birender Singh



संदेश

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT,
PANCHAYATI RAJ AND
DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA



जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस ए जी वाई) का शुभारंभ हुआ है। इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना के दिशा-निर्देश की कड़ी में इसके अभिसरण को उन सभी संबंधित योजनाओं के बीच इस रूप में सुनिश्चित किया जाना है कि यह कार्यक्रम अभिसरण के एक नवोन्मेषी उदाहरण के रूप में उभरकर सामने आए।

मेरा मंत्रालय इस केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत योजना कार्य करने के लिए आगे बढ़ा है और इसका संकलन तैयार किया है - 'समन्वय'

मुझे विश्वास है कि यह संकलन सांसदों, पंचायती राज कार्यान्वयन सदस्यों तथा अन्य विकास व्यावसायियों के लिए ग्राम स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समझने में महत्वपूर्ण संसाधन सामग्री के रूप में उपयोगी होगा।

मुझे विश्वास है कि सरकारी योजनाओं से संबंधित सहज उपलब्ध जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आगे बढ़ेंगे और अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को अधिक बेहतर ढंग से करेंगे। यह सभी सरकारी सम्बद्ध विभागों, पंचायती राज कार्यान्वयन सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मंत्रियों के लिए विशेषकर बेहतर समन्वय, तालमेल और अभिसरण के लिए उपयोगी होगा।

मैं अपने सभी सहयोगियों को आदर्श ग्राम विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए सफलता की कामना करता हूँ।

(बीरेन्द्र सिंह)

नोट

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस ए जी वाई) दिशा-निर्देश, संसाधन आवरण की पहचान करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ये संसाधन विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कोष के विभिन्न समूह स्तर के विशुद्ध रूप से ग्राम पंचायत के उपलब्ध संसाधन जैसे स्वयं के राजस्व, केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोग के अनुदान इत्यादि हो सकते हैं, ये संसाधन जिनका आबंटन स्थानीय रूप में नकद राशि, सामान और श्रम एवं सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के कोष के रूप में हो सकता है। यह वांछित है कि इन संसाधनों के विभिन्न श्रेणियों का उपयोग अभिसरण तथा संघटित रीति से अधिकतम तालमेल उत्पन्न करने के लिए हो। इन संसाधनों की रूपरेखा सावधानीपूर्वक तथा समझदारी से ग्राम विकास योजना (वी डी पी) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर प्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एस ए जी वाई प्रभाग ने सभी संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाएँ एस ए जी वाई के समानांतर दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए योजना कार्य की कवायद की है। यह सम्पूर्ण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सदस्यों (पी आर आर डी एफ) की सहायता से विभिन्न राज्यों से तथा जिनका पुनरीक्षण अपने-अपने राज्यों के नोडल अधिकारियों ने किया, निष्पादित किया गया है। जहाँ तक संभव हो, सभी संबंधित योजनाओं को एक साथ लाते हुए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वालों के लिए संसाधन आवरण की पहचान और उसको अंतिम रूप देने के लिए सहज रूप में प्रयास करना अभिप्रेत है। इस संबंध में मंत्रालय एस ए जी वाई प्रभाग, पी आर आर डी एफ तथा राज्यों से प्राप्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

अस्वीकरण

विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित तथा राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा माननीय सांसदों की साधारण जानकारी की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से एस ए जी वाई के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में तैयार की गई है तथापि इन दस्तावेजों का उपयोग एस ए जी वाई के अन्तर्गत समुचित योजनाओं और गतिविधियों के लिए अन्य भी कर सकते हैं।

सरकारी वेबसाईट, योजनाएँ संबंधी दस्तावेज और राज्य सरकारें सूचना के स्रोत हैं। राज्य योजनाओं की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की गई है कि प्रत्येक राज्य सरकार मान्यता के लिए अनुरोध करे। दस्तावेजों की रूपरेखा के अधीन जो अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं वे एस ए जी वाई की दिशा-निर्देशों की प्रासंगिकता पर आधारित हैं। अतः वे व्यापक और पूर्ण नहीं हो सकती।

हम सूचनाओं को अद्यतन व सही रखने का प्रयास करते हैं तथापि हमारी ओर से संपूर्णता, उपयुक्तता, यथार्थता, विश्वसनीयता, सामग्री की उपलब्धता, वेबसाईट, सूचना, सेवाएँ या वेबसाईट पर संबंधित ग्राफिक सामग्री या अन्य उद्देश्य के लिए कोई प्रतिनिधित्व या किसी प्रकार की कोई वारंटी अभिव्यक्त नहीं करते। अतः किसी प्रकार की सूचना की विश्वसनीयता की जिम्मेदारी पूर्णतः आपकी होगी।

इन दस्तावेज के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की कोई हानि अथवा क्षति जिसमें हद से अधिक, परोक्ष या आगे होने वाली हानि या क्षति या किसी प्रकार की अन्य हानि या क्षति या दस्तावेज के उपयोग से किसी भी रूप में डाटा से होने वाली हानि या लाभ शामिल है, हमारा उत्तरदायित्व नहीं होगा।

इस दस्तावेज के माध्यम से आप अन्य मंत्रालय / राज्य सरकार तथा वेबसाईट जो कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन नहीं हैं, सम्पर्क करने के लिए सक्षम होंगे। सामग्री के स्वरूप, मात्रा तथा इसकी उपलब्धता आदि हमारे नियंत्रण से परे हैं।

एस ए जी वाई सेल, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्पष्ट रूप से इस संकलन में दी गई जानकारी तथा सरकारी योजनाओं के स्वरूप के संबंध में किसी प्रकार की कोई त्रुटि के उत्तरदायित्व को अस्वीकार करता है। हम आपसे विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय / राज्य सरकारी अधिकारियों / सरकारी वेबसाईट से सम्पर्क करने का आग्रह करते हैं।

विषयक्रम

व्यक्तिगत विकास	1-4
मानव विकास	5-20
सामाजिक विकास	21-32
आर्थिक विकास	33-50
पर्यावरणात्मक विकास	51-56
बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएँ	57-64
सामाजिक सुरक्षा	65-68
सुशासन	69-74

सूची

क्रम सं.	क्षेत्र	केन्द्रीय
1	व्यक्तिगत विकास	6
2	मानव विकास	58
3	सामाजिक विकास	36
4	आर्थिक विकास	87
5	पर्यावरणात्मक विकास	13
6	बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएँ	23
7	सामाजिक सुरक्षा	9
8	सुशासन	18
	विशिष्ट योजनाएँ	223

व्यक्तिगत विकास